Antiquity and art Treasure Act 1972

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम (*The Antiquities and Art Treasure Act-1972 A.D.*)—उक्त अधिनियमों के पारित हो जाने के बाद भी भारत से कलाराशि के बड़ी मात्रा में चोरी छिपे विदेश जाने से रोकने के लिए संसद ने सन् 1972 में 'पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियाँ अधिनियम पारित किया लेकिन यह अधिनियम किन्हीं कारणों से तत्काल लागू नहीं किया गया। अप्रैल 5 सन् 1976 ई० को एक घोषणा के द्वारा सिक्किम को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. पुरावशेष का तात्पर्य—कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे—मूर्तियाँ, सिक्के, चित्र, हथियार, कवच, हौदे, हाथी दाँत एवं लकड़ी का कामदार सामान, आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, पाण्डुलिपियाँ आदि यदि एक सौ वर्ष से अधिक पुरानी हैं और उनका ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयीय महत्त्व है तो वह पुरावशेष समझी जायेगी। ऐतिहासिक महत्त्व की 75 वर्ष पुरानी पाण्डुलिपियों को भी पुरावशेष कहा जाएगा।

2. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अनुज्ञापन अधिकारियों (*Licencing officers*) **की नियुक्ति**—कोई भी व्यापारी बगैर लाइसेन्स प्राप्त किए पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यापारी नहीं है केवल कला संग्रहकर्त्ता हैं उनके लिए भी प्रावधान है कि वे अपनी कलाकृतियों को पंजीकृत करा लें। लाइसेन्स देने के लिए भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण ने ग्यारह अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किए हैं जिनके कार्यालय—श्रीनगर, दिल्ली, बड़ौदा, आगरा, पटना, कोलकाता, भोपाल, मुम्बई, हैदराबाद, बंगलौर तथा चेन्नई में है। प्रत्येक लाइसेन्सिग आफिसर के अधीनस्थ कई रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यरत हैं। यह नियम सरकारी संग्रहालयों, शासकीय अभिलेखागारों तथा सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित कलाकृतियों पर लागू नहीं होता है।

3. कलाकृतियों का पंजीकरण करने की व्यवस्था—बहुमूल्य कलाकृतियों के पंजीकरण की विधि अत्यन्त सरल है। प्रत्येक कलाकृति के लिये एक फार्म भरा जाता है और

साथ में छोटे आकार की तीन फोटो देने पड़ते हैं। पंजीकरण अधिकारी इन्हें अपने रजिस्टर में अंकित कर लेता है। इसके बाद कलाकृति और उसकी प्रामाणित फोटो उसके मालिक को वापस कर दी जाती है। पंजीकरण दो स्थितियों में होता है—1. व्यक्तिगत कलाकृतियों हेतु 2. व्यापारिक कलाकृतियों हेतु।

जो लोग कलाकृतियों का व्यापार करते हैं, उनको इसी तरह का एक अन्य फार्म भरना पड़ता है। यदि पुरावशेष या कलाकृति बहुत छोटी है अथवा कम मूल्य की है तो एक साथ तीन-चार को रखकर फोटो खींची जा सकती है और इस प्रकार खींचे गए फोटो के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है।

4. पंजीकरण संबंधी नियम का उद्देश्य—इस नियम का एक मात्र उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत में कुल कितनी कलाकृतियाँ हैं और वे कहाँ पर हैं। सरकार का उन्हें छीनने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पंजीकरण के बाद सम्बद्ध कलाकृति उसके मालिक को वापस कर दी जाती है। अतः इस नियम का उद्देश्य इस प्रकार है—

कलाकृतियों को प्रकाश में लाना—यह अधिनियम भारत में छिपी विभिन्न कलाकृतियों को प्रकाश में अर्थात उजागर करती है।

व्यक्तिगत स्वामित्व को कायम रखना—पुरावशेषों एवं कलाकृतियों के मालिकों को यह अधिकार है कि वे लोग ऐसी कृतियों को आजन्म अपने पास रख सकते हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी के लिए अपने घर में छोड़ सकते हैं। वे चाहें तो किसी को उपहार भी दे सकते हैं तथा भारत के अन्दर किसी को बेच भी सकते हैं। इस प्रकार ऐसी कृतियों पर उनके मालिकों का ही पूर्ण स्वामित्व रहेगा।

बहुमूल्य कलाकृतियों का सरकार द्वारा गजट में घोषणा करके अधिग्रहण का अधिकार—इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कलाकृति बहुत मूल्यवान हो तो सरकार गजट में घोषण करके उसका अधिग्रहण कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कदम असाधारण परिस्थितियों में ही उठाया जाएगा और तब तक सरकार मालिक को उस कालाकृति का उचित मूल्य (विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित) मुआवजे के रूप में देगी।

धार्मिक स्थलों की कलाकृतियों एवं कलाकार के जीवित होने पर कलाकृतियों का सरकार द्वारा अधिग्रहण संभव नहीं होगा—ऐसी कोई भी कलाकृति जो धार्मिक स्थल पर पूजी जा रही है अथवा उसका निर्माता जीवित है तो सरकार किसी भी दशा में उसका अधिग्रहण नहीं कर सकेगी, भले ही वह कितनी ही दुर्लभ कृत्ति क्यों न हो।

5. रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेन्सिग अधिकारियों को जाँच-पड़ताल करने का अधिकार—इन रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेन्सिग अधिकारियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि लिखित एवं विश्वसनीय रिपोर्ट मिलने पर वे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं अथवा घर एवं दुकान पर छापा डाल सकते हैं। भारत के बाहर कोई भी कलाकृति तब तक नहीं भेजी का सकती है, जब तक भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की अनुमति न मिल जाए। स्वयं भारत सरकार एवं उसके समस्त प्रतिष्ठानों को भी वह अनुमति लेनी अनिवार्य है। कलाकृतियों के व्यापारियों द्वारा सभी कलाकृतियों के रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। जब

भी कोई कृति बेची या उपहार दी जाए अथवा अन्य किसी कारण से हस्तांतरित की जाए तो इसकी लिखित सूचना लाइसेन्सिग अधिकारी को देना चाहिए।

6. पंजीकरण अधिकारियों द्वारा असन्तुष्ट होने पर अपील करने का अधिकार—इस अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि यदि लाइसेन्सिग अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति के लाइसेन्स को रद्द कर दिया गया है अथवा उसके निर्णय से किसी प्रकार का कष्ट है तो वह उस निर्णय के प्रेषित किए जाने के 6 महीने के अन्दर एवं 30 दिनों के अन्दर निर्दिष्ट अधिकारी के पास अपील कर सकता है।

7. पुरावशेषों से संबंधित विवादों का समाधान—किसी भी वस्तु, पाण्डुलिपि, दस्तावेज आदि पुरावशेषों के संबंध में उत्पन्न विवाद को भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जिसका पद भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक के स्तर से नीचे का नहीं है, के पास प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे अधिकारियों द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

8. लाइसेन्स के नवीनीकरण की व्यवस्था—दिए गए लाइसेन्स का निश्चित समयावधि पूरी हो जाने पर अग्रिम अवधि के लिए नवीनीकरण कराने के लिए उसे नवीनीकरण शुल्क देना होगा। इस संबंध में आवेदक को उसकी बातें सुनने के लिए उचित अवसर दिए बिना उसकी अर्जी को ख़ारिज नहीं किया जा सकेगा।

9. दण्ड विधान की व्यवस्था—इस अधिनियम का पालन हो रहा है अथवा नहीं इस बात की सन्तुष्टि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी सरकारी अधिकारी किसी भी स्थान पर जाकर स्वयं खोजबीन कर सकेगा और इस अधिनियम के अनुपालन पर सन्देह होने पर न्यायालय में पेश करने के लिए वह स्वतंत्र हैं। अधोलिखित व्यक्तियों को दण्ड दिया जा सकता है—

लाइसेन्स में हेराफेरी करने पर—लाइसेन्सिग अधिकारी यदि किसी व्यक्ति को लाइसेन्स में हेराफेरी करते हुए पकड़ता है तो वह उसके लाइसेन्स को रद्द कर सकता है, संशोधन कर सकता है, अर्थ दण्ड दे सकता हैं। 6 महीने की जेल कर सकता है।

अधिनियम का उल्लंघन करने पर—इस अधिनियम में दिए गये नियमों के अलावा यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उस व्यक्ति को 1962 ई० के कस्टम अधिनियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत व्यवस्थित तीन माह से लेकर तीन साल तक की जेल या जुर्माना किया जाएगा।

कर्मचारियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करने पर—किसी भी अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का आरोप लग सकता है।

अवैध कार्य करने पर—किसी कम्पनी को अवैध कार्य में यदि पकड़ा जाता है तो उसके सम्पूर्ण कर्मचारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। सन् 1970 में यूनेस्को (UNESCO) की महासभा ने अवैध पुरावस्तु आयात-निर्यात और बिक्री को रोकने की एक नियमावली तैयार की गयी है जिसमें प्रत्येक देश का सहयोग आवश्यक हैं।